उत्तर पश्चिम रेलवे, जोधपुर

मंडल रेल प्रबन्धक कार्यालय
उत्तर पश्चिम रेलवे, जोधपुर

3

No. 1 AT/Safety/Div. Safety Circular-3/JU/2025

दिनांक 05.03.2025

सभी अधिकारी उ.प.रे. जोधपुर मण्डल, सभी स्टेशन अधीक्षक स्टेशन मास्टर, यातायात निरीक्षक, संरक्षा सलाहकार, यार्ड मास्टर, वरि, सेक्शन इंजीनियर (रेल पथ), वरि. सेक्शन इंजीनियर (संकेत), वरि, सेक्शन इंजीनियर (दूरसंचार), वरि. सेक्शन इंजीनियर (सवारी व माल) मुख्य लोको निरीक्षक मुख्य नियंत्रक कंट्रोल, मुख्य नियंत्रक कैरेज, मुख्य नियंत्रक कंट्रोल लोको, मुख्य नियंत्रक (दूरसंचार), मुख्य नियंत्रक (बिजली) प्रशिक्षक यातायात प्रशिक्षण स्कूल जोधपुर, गार्ड व चालक फ़ाइल जोधपुर, जैसलमेर, मेहतारोड, बाड़मेर व समदड़ी, प्राचार्य डीजल प्रशिक्षण केंद्र भगत की कोठी।

मंडल संरक्षा परिपत्र 03/2025

विषय: कार्य स्थल पर बरती जाने वाली सावधानियों ।

जब स्टेशन पर या यार्ड में रेलपथ, आमान परिवर्तन, दोहरीकरण, नवीयन, पुल निर्माण आदि काम होता है तो निम्नलिखित सावधानियों बरती जानी चाहिये-

1 कार्य प्रारम्भ करने से पहले इसकी योजना/प्रकिया स्टेशन मास्टर के पास होनी चाहिये।

2 कार्य प्रारम्भ होने से पहले, जहाँ पर रोड वाहन/मशीनरी को ट्रेक के बहुत नजदीक कार्य करना है, वहाँ पर ट्रेक. के मध्य से उचित दूरी पर एडवान्स में चूने द्वारा चिन्हित करना चाहिये।

3 रेलवे पर्यवेक्षक की उपस्थिति के बिना कोई भी कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिये।

4. ठेकेदार कौन है तथा क्या काम करेगा। इसकी सूचना स्टेशन मास्टर के पास होनी चाहिये।

5. ठेकेदार के पर्यवेक्षक तथा वर्कर्स को संरक्षा संबंधी ज्ञान होना चाहिये।

6. ठेके पर कार्य होने के दौरान कार्यस्थल पर ठेकेदार के प्रशिक्षित पर्यवेक्षक की लगातार उपस्थिति होनी चाहिये।

7. इंजीनियरिंग तथा सिगनल एवं दूरसंचार के सुपरवाइजरों का नाम तथा मोबाइल नम्बर की जानकारी स्टेशन मास्टर के पास होनी चाहिये।

8. इंजीनियरिंग इंचार्ज द्वारा अनुमोदित कार्य प्रणाली, जो गाड़ियों, यात्रियों और वर्कर्स की संरक्षा सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से ठेकेदार द्वारा अपनायी जानी है, कि प्रति स्टेशन मास्टर के पास हो।

9. कार्य के दौरान स्टेशन मास्टर तथा पर्यवेक्षकों को व्यक्तिगत ध्यान रखना चाहिये।

10. साइट रजिस्टर को पर्यवेक्षकों द्वारा देखते रहना चाहिये।

11. पटरी के साथ-साथ निश्चित दूरी पर बेरिकेड लगाये जाने चाहिये।

12. गाड़ी की संरक्षा हेतु श्यडूल ऑफ डाइमेनशन के अनुसार कार्यस्थल पर बेरिकेड लगाये जा चाहिये।

13. यात्रियों की संरक्षा हेतु चेतावनी बोर्ड चमकदार रंग से बने हुए तथा ऐसी जगह जहाँ साफ दिखा दें लगाने चाहिये।

14. समय-समय पर जारी गाइड लाइन/निर्देशों का पालन किया जाना चाहिये।

15. ट्रैक के समीप कार्य करने के लिए आवश्यक हो तो ब्लाक लेकर कार्य करें |

16. ट्रैक के पास कार्य चालू करने हेतु track protection equipment एवं protection man तैनात रहे |

17. गोलाई में कार्य करने से पूर्व यह आश्वस्त कर ले की कार्य ब्लाक के दौरान करना है या बिना ब्लाक के करना है |

वरि. मण्डल संरक्षा अधिकारी
उ.प.रे. जोधपुर

प्रतिलिपि: मं.रे.प्रबंधक व अ.मं.रे.प्रबंधक को सादर सूचनार्थ।

Scanned with OKEN Scanner